भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 762

(07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत नकारे गए जॉबकार्ड

762**. सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2019 से अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) हेतु मजदूरी के लिए राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है;

(ख) 2019 से अब तक राज्य-वार कितने कार्य दिवस सृजित किये गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा भौतिक घटकों से संबंधित अभी तक भुगतान नहीं की गई बकाया राशि कितनी है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(घ) विगत 10 वर्षों के दौरान विशेषकर अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में कितने जॉब कार्ड अनुरोधों को नकारा गया है; और

(ड.) विगत 10 वर्षों के दौरान कार्य पूरा होने के 15 दिनों के बाद मजदूरी पाने वाले लाभार्थियों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है।**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (03.02.2023 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (02-02-2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार (श्रम दिवसों में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2022-23 (03.02.2023 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री घटकों के लिए लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधियां जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय श्रम बजट , कार्यों की मांग, शुरुआती शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देयताओं, समग्र निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की शर्त को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से दो खेपों में निधियां जारी करता है जिसमें प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्तें होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के जॉब कार्ड के अनुरोधों को पूरा नहीं करने से संबंधित कोई भी मुद्दा इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ड): केन्द्र सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित लाभार्थियों और दिव्यांगजनों के बैंक/डाकघर खातों में सीधे मजदूरी का भुगतान कर रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और दिव्यांग व्यक्तियों आदि की श्रेणी के आधार पर मजदूरी मांग को अलग रखने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी श्रेणी में प्रत्येक

लाभार्थी जो मस्टर रोल में एक ही कार्यस्थल पर काम करता है , उसे एकल फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

यदि मजदूरी का भुगतान देय होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो देरी मुआवजे का प्रावधान है। नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार , वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भुगतान किए गए विलंब मुआवजे का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (03.02.2023 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	4510.63	6273.13	5270.54	3892.76
2	अरुणाचल प्रदेश	84.81	224.89	326.09	182.61
3	असम	1222.02	2154.95	2126.41	1670.54
4	बिहार	2305.56	4756.87	3539.93	4448.78
5	छत्तीसगढ	2033.52	3362.94	2849.06	1657.36
6	गोवा	0.85	2.34	0.24	3.19
7	गुजरात	565.32	1066.02	1159.92	897.08
8	हरियाणा	242.58	600.89	461.95	256.12
9	हिमाचल प्रदेश	423.71	736.75	743.40	537.54
10	जम्मू और कश्मीर	691.02	810.49	867.93	499.99

11	झारखंड	945.79	2399.42	2238.73	1786.07
12	कर्नाटक	2690.96	4251.44	4680.81	3426.19
13	केरल	3173.83	3356.22	3030.03	2391.12
14	मध्य प्रदेश	3495.46	6419.71	5569.66	3657.59
15	महाराष्ट्र	1098.01	1351.62	1670.90	1491.40
16	मणिपुर	252.08	596.26	553.65	756.49
17	मेघालय	602.69	974.97	897.76	496.64
18	मिजोरम	469.54	501.75	464.11	333.62
19	नागालैंड	414.50	263.61	311.26	332.52
20	ओडिशा	1604.74	4219.20	4321.90	2909.34
21	पंजाब	603.02	1021.25	913.08	767.20
22	राजस्थान	5158.53	8097.76	7793.29	4678.54
23	सिक्किम	56.56	80.75	74.38	59.76
24	तमिलनाडु	4503.88	6958.79	7358.88	5927.00
25	तेलंगाना	1693.05	2634.34	2680.23	1733.28
26	त्रिपुरा	579.41	904.40	822.16	580.92
27	उत्तर प्रदेश	4337.60	7817.58	6644.45	5964.72
28	उत्तराखंड	306.85	713.17	503.45	370.02
29	पश्चिम बंगाल	6215.73	9397.68	5645.91	0.00
30	अंडमान और निकोबार	3.09	5.81	5.62	3.38
31	लक्षद्वीप	0.90	0.50	0.10	0.00

32	पुदुचेरी	13.55	24.44	14.11	17.80
33	लद्दाख	-	22.49	42.48	23.01
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.45
	कुल	**50,299.81**	**82,002.45**	**73,582.42**	**51,753.03**

लोकसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (02.02.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रदान किए गए रोजगार (श्रम दिवसों में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सृजित श्रम दिवस (लाख में)**			
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	2002.25	2593.24	2417.19	1960.02
2	अरुणाचल प्रदेश	85.99	128.14	158.73	102.05
3	असम	623.08	911.53	916.61	691.47
4	बिहार	1416.23	2276.27	1811.79	2018.75
5	छत्तीसगढ	1361.75	1840.90	1692.36	843.25
6	गोवा	0.34	1.10	0.95	0.76
7	गुजरात	353.70	482.29	568.02	412.78
8	हरियाणा	91.19	179.62	146.40	77.33
9	हिमाचल प्रदेश	259.19	336.19	370.94	257.10

10	जम्मू और कश्मीर	313.41	407.01	406.33	205.43
11	झारखंड	641.95	1176.08	1132.47	721.62
12	कर्नाटक	1118.63	1480.32	1634.93	1123.33
13	केरल	802.30	1023.00	1059.66	772.46
14	लद्दाख	19.03	21.30	19.27	17.70
15	मध्य प्रदेश	1930.17	3420.21	3000.13	2101.30
16	महाराष्ट्र	629.60	679.36	825.42	680.30
17	मणिपुर	234.07	330.52	305.59	40.62
18	मेघालय	370.22	383.70	393.63	198.54
19	मिजोरम	192.59	198.66	200.77	159.57
20	नागालैंड	138.48	180.12	192.58	181.38
21	ओडिशा	1113.89	2080.75	1977.94	1623.55
22	पंजाब	235.25	376.75	331.52	276.23
23	राजस्थान	3286.55	4605.35	4242.97	2837.79
24	सिक्किम	29.47	37.34	34.34	26.31
25	तमिलनाडु	2485.10	3339.46	3457.26	2680.26
26	तेलंगाना	1071.14	1579.53	1457.94	1063.98
27	त्रिपुरा	344.02	437.22	426.18	307.67
28	उत्तर प्रदेश	2444.30	3945.41	3257.96	2793.53
29	उत्तराखंड	206.16	303.61	243.18	170.20

30	पश्चिम बंगाल	2723.05	4140.17	3642.28	376.69
31	अण्डमान और निकोबार	2.21	2.61	1.14	0.85
32	लक्षद्वीप	0.04	0.02	0.01	0.03
33	पुदुचेरी	7.65	10.57	6.15	7.12
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**26533.02**	**38908.33**	**36332.63**	**24729.98**

लोकसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

वित्तीय वर्ष 2022-23 (03.02.2023 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री घटकों के लिए लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामग्री देनदारियां (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	836
2	अरुणाचल प्रदेश	24
3	असम	112
4	बिहार	471
5	छत्तीसगढ	0
6	गोवा	0
7	गुजरात	0

8	हरियाणा	0
9	हिमाचल प्रदेश	29
10	जम्मू और कश्मीर	24
11	झारखंड	0
12	कर्नाटक	638
13	केरल	137
14	लद्दाख	2
15	मध्य प्रदेश	362
16	महाराष्ट्र	200
17	मणिपुर	89
18	मेघालय	102
19	मिजोरम	0
20	नागालैंड	92
21	ओडिशा	187
22	पंजाब	32
23	राजस्थान	97
24	सिक्किम	4
25	तमिलनाडु	0
26	तेलंगाना	0
27	त्रिपुरा	7

28	उत्तर प्रदेश	0
29	उत्तराखंड	0
30	अंडमान और निकोबार	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
32	लक्षद्वीप	0
33	पुदुचेरी	0
34	पश्चिम बंगाल	2712
	कुल	**6,157**

लोकसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भुगतान किए गए विलंब मुआवजे का विवरण	
वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए विलंब मुआवजे (रु. लाख में)
2014-15	779.8
2015-16	376.87
2016-17	2237.57
2017-18	2612.73
2018-19	729.08
2019-20	289.33
2020-21	160.63
2021-22	431.73
2022-23 (02.02.23 की स्थिति के अनुसार)	158.51

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)